खाद्य असुरक्षा; 1 अप्रैल से जयपुर में 50 हजार से अधिक लोग सस्ते अनाज से वंचित होंगे...क्योंकि जनाधार सूची में नाम ही नहीं

पहले 1 जनवरी से लाभ दिया जाना था, अब 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी

शिव प्रकाश शर्मा|जयपुर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित राशन कार्डधारी परिवारों को 1 अप्रेल से राशन कार्ड के बजाए जनआधार से राशन का गेंहू देने की योजना शुरु होने जा रही है। जयपुर में एनएसए में जुडे गरीब परिवारों के 50 हजार लोग 2 रुपए किलो गेंहू से वंचित हो जाएंगे। कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुडे परिवारों के सदस्यों का नाम जनआधार में नहीं जुड़ पाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों के वंचित सदस्यों की संख्या में जयपुर शहर में करीब 30 हजार और ग्रामीण में 20 हजार है जिनके नाम अब भी नहीं जुड़ पाए। जनआधार में नाम जोड़ने का अभियान 24 माह से चला आ रहा है।

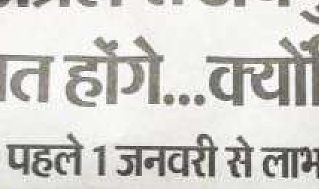

सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में जन-आधार कार्ड को ही राशन कार्ड के स्थान पर मान्यता दी है यानी जन आधार से ही राशन मिलेगा। जनआधार में जुडे सदस्यों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ 1 जनवरी 2022 से देना तय था लेकिन प्रदेश भर में करीब 23 लाख लोगों के नाम ही नहीं जुड़ पाए थे। इसके चलते विशेष अभियान चलाकर इसे 1 अप्रेल 22 तक आगे बढा दिया गया। अब 1 अप्रेल से राशन के गेंहू जनआधार कार्ड से ही मिलेंगे।

2.10 लाख पात्र लोगों को जोड़ा जाना था

- सांख्यिकी विभाग के अनुसार जयपुर जिले के खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के सदस्यों जिनका राशन कार्ड में तो नाम है लेकिन उनका जन-आधार में नामांकन नहीं है।
- जयपुर जिले में 1 जनवरी 22 तक ऐसे सदस्यों की संख्या करीब 1.62 लाख थी। इन वंचित सदस्यों के नाम जोड़ने का टारगेट 10 जनवरी तक रखा गया था। इस दौरान नए सदस्यों के आने से यह संख्या 2.10 लाख से अधिक हो गई।
- राशन के गेहूं का लाभ जनआधार में नामांकित सदस्यों के आधार पर ही मिलना है। वंचित सदस्य अपना जन-आधार नामांकन निकटतम ई-मित्र से निःशुल्क करवा सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।